आवंटन
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515007890535

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, रामपुर, बिजनौर, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर–खीरी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, श्रावस्ती, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर तथा जालौन।

संख्याः 1/शा0/120/2013–1/322/2013 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2013

विषयः डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड, के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–42/26–ब0प्र0–2013–100(21)/2012 दिनांक–28 जनवरी, 2013 तथा संशोधित शासनादेश संख्या–88/26–ब0प्र0–2013–100(21)/2012 दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा अनुदान संख्या–83 आयोजनागत के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड, के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 5000.00 लाख (₹ पचास करोड़ मात्र) में से ₹ 2580.00 लाख (₹ पचीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2012–13 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0– बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09.07. 2012 तथा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या– 83 के लेखाशीर्षक "4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायगा।

कृ0पृ0उ0

CC Road 14-83 Allotment

6— स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा—निदेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7— सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

11— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2012—13 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 04—03—2013 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—19 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/120/1/2013 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
6— सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
9— उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

CC Road 14-93 Allotment

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0

संख्याः 1/शा0/120/2013–1/322/2013 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2013

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत) (धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	चयनित ग्रामों की संख्या	कुल प्रस्तावित योग्य धनराशि	*अधिष्ठान अंश स्तम्भ–4 का 6.875 प्रतिशत	सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु आवंटन कार्यांश (4–5)	कुल आवंटित धनराशि (5+6)	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेरठ	1	30.00	2.06	27.94	30.00	**30.00**
2	बागपत	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3	गाजियाबाद	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
4	हापुड़	1	30.00	2.06	27.94	30.00	**30.00**
5	गौतमबुद्धनगर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
6	बुलन्दशहर	1	30.00	2.06	27.94	30.00	**30.00**
7	सहारनपुर	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
8	मुजफ्फरनगर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
9	शामली	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
10	आगरा	5	110.00	7.56	102.44	110.00	**110.00**
11	अलीगढ़	2	50.00	3.44	46.56	50.00	**50.00**
12	हाथरस	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
13	एटा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
14	कासगंज	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
15	मैनपुरी	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
16	मथुरा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
17	फिरोजाबाद	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
18	बरेली	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
19	बदॉयू	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
20	पीलीभीत	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
21	शाहजहॉपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	मुरादाबाद	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
23	सम्भल	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
24	अमरोहा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
25	रामपुर	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**

क्र.सं.	जनपद का नाम	चयनित ग्रामों की संख्या	कुल प्रस्तावित योग्य धनराशि	*अधिष्ठान अंश स्तम्भ–4 का 6.875 प्रतिशत	सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु आवंटन कार्यान्श (4–5)	कुल आवंटित धनराशि (5+6)	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8
26	बिजनौर	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**
27	लखनऊ	3	70.00	4.81	65.19	70.00	**70.00**
28	रायबरेली	8	180.00	12.38	167.62	180.00	**180.00**
29	हरदोई	8	200.00	13.75	186.25	200.00	**200.00**
30	उन्नाव	9	180.00	12.38	167.62	180.00	**180.00**
31	सीतापुर	9	190.00	13.06	176.94	190.00	**190.00**
32	लखीमपुर खीरी	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**
33	फैजाबाद	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
34	अम्बेडकर नगर	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
35	सुलतानपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
36	बाराबंकी	3	60.00	4.13	55.87	60.00	**60.00**
37	अमेठी	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
38	गोण्डा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
39	बलरामपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
40	बहराइच	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
41	श्रावस्ती	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**
42	इलाहाबाद	2	50.00	3.44	46.56	50.00	**50.00**
43	कौशाम्बी	5	120.00	8.25	111.75	120.00	**120.00**
44	फतेहपुर	4	100.00	6.88	93.12	100.00	**100.00**
45	प्रतापगढ़	1	30.00	2.06	27.94	30.00	**30.00**
46	वाराणसी	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
47	चन्दौली	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
48	गाजीपुर	6	120.00	8.25	111.75	120.00	**120.00**
49	जौनपुर	1	30.00	2.06	27.94	30.00	**30.00**
50	मिर्जापुर	3	60.00	4.13	55.87	60.00	**60.00**
51	सोनभद्र	6	140.00	9.63	130.37	140.00	**140.00**
52	संतरविदास नगर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
53	हमीरपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
54	बाँदा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
55	चित्रकूट	**2**	50.00	3.44	46.56	50.00	**50.00**

क्र.सं.	जनपद का नाम	चयनित ग्रामों की संख्या	कुल प्रस्तावित योग्य धनराशि	*अधिष्ठान अंश स्तम्भ–4 का 6.875 प्रतिशत	सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु आवंटन कार्यान्श (4–5)	कुल आवंटित धनराशि (5+6)	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8
56	महोबा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
57	गोरखपुर	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
58	महाराजगंज	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**
59	देवरिया	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
60	कुशीनगर	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**
61	बस्ती	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**
62	संतकबीर नगर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
63	सिद्धार्थ नगर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
64	आजमगढ	6	130.00	8.94	121.06	130.00	**130.00**
65	मऊ	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**
66	बलिया	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
67	कानपुर नगर	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
68	कानपुर देहात	1	30.00	2.06	27.94	30.00	**30.00**
69	फर्रूखाबाद	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
70	कन्नौज	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
71	इटावा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
72	औरैया	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
73	झाँसी	2	50.00	3.44	46.56	50.00	**50.00**
74	ललितपुर	2	40.00	2.75	37.25	40.00	**40.00**
75	जालौन	1	20.00	1.38	18.62	20.00	**20.00**
	कुल योग–	**116**	**2580.00**	**177.44**	**2402.56**	**2580.00**	**2580.00**
	लो०नि०वि०–	**11**	**260.00**	**17.88**	**242.12**	**260.00**	
	ग्रा०अ०विभाग–	**105**	**2320.00**	**159.56**	**2160.44**	**2320.00**	

(₹ पचीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

* अधिष्ठान व्यय की धनराशि लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियाँ–01–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियाँ–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।